न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं.4, अलवर (राज०)

पीठासीन अधिकारी अजीत कुड़ी, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी विविध अपील संख्या-112/2022,(सीआईएस संख्या 12/2016)

CNR-RJALO10001172016

1. श्रीमति जैतूनी पत्नी रिसालसिंह, उम्र 65 साल, निवासी ग्राम ईटराणा तहसील व जिला अलवर (राज०)
2. हक्की पुत्री रिसालसिंह, पत्नी रूददारखां,
3. मक्की पुत्री रिसालसिंह, पत्नी जफरूखां,
4. बेगम पुत्री रिसालसिंह, पत्नी इमरानखां, निवासी ग्राम अलबक्स का बास तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर (राज०)
5. राकेश कुमार पुत्र सुन्दरपाल यादव, निवासी सैनी धर्मशाला के पास, काला कुआं अलवर (राज०)
6. रोशन पुत्र मानसिंह,
7. सरपू पुत्र जस्सी, निवासी मकान नं.60, ग्राम गोरपहाडी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर (राज०) **....अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण**

बनाम

1. अलीमन पुत्री राजू, पत्नी शादी,....(**मृतक**)
2. जरीना पुत्री राजू, पत्नी रोशन,
3. रवीना पुत्री राजू, पत्नी ईसाक, निवासी ग्राम कारोली तहसील व जिला अलवर (राज०) **.....प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण**

पीठासीन अधिकारी कृष्णा राकेश कावंत, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.1, अलवर द्वारा सिविल विविध प्रार्थना पत्र सं.46/292/2015 बमुकदमा अनुवान अलीमन व अन्य बनाम श्रीमति जैतूनी व अन्य, में प्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण की तरफ से पेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 सी.पी.सी. में पारित आदेश दिनांक 15.12.2015 के विरूद्ध अपील।

उपस्थित-

1. विद्वान अधिवक्त श्री दिनेश कुमार यादव, अपीलार्थीगण/ अप्रार्थीगण की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव भार्गव, प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण की तरफ से।

-आदेश- **दिनांक 17 मार्च 2026**

1. अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण की ओर से यह अपील सर्वप्रथम माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर में प्रस्तुत की गयी। जहाँ से यह अपील विधिनुसार विचारण एवं निस्तारण हेतु न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या-1 में अंतरित हुई, तत्पश्चात कालांतर में माननीय जिला न्यायाधीश, अलवर के आदेश दिनांक 29.01.2022 की पालना में इस न्यायालय में अंतरित होकर दिनाँक 20.04.2022 को प्राप्त हुई। अपील दर्ज रजिस्टर की गयी।

2. प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण की ओर से विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी. इस आशय का प्रस्तुत किया गया, कि मौजूदा केस में विवादित आराजी खसरा नम्बर 110 रकबा 75 एयर व 111 रकबा 74 एयर कुल किता 2 रकबा 1 हैक्टेयर 49 एयर वाकै ग्राम ईटाराणा, तहसील व जिला अलवर में स्थित है जिसमें प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण बतौर खातेदार काबिज हैं और उक्त भूमि में प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण का हक है। उपरोक्त आराजी प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण की दादाईलाही आराजी है जो पूर्व में प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण व अपीलार्थी/अप्रार्थी संख्या-1 के पिता राजू की स्वअर्जित खातेदारी काश्तकारी की आराजी है जिस पर वह अपने जीवनकाल में बतौर खातेदारी काबिज रहकर काश्त करता रहा। राजू का देहान्त करीब 30-35 वर्ष पूर्व ग्राम ईटाराणा में हो गया। राजू खातेदार के देहान्त के पश्चात् उसकी विरासत का इन्तकाल प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण व अपीलार्थी/अप्रार्थी संख्या-1 के पति स्व०रिसाल सिंह के नाम दर्ज किया जाना कानूनन अपेक्षित था, परन्तु राजस्व कर्मचारीगण द्वारा अवैध व अनाधिकृत रूप से राजू का इन्तकाल विरासत संख्या 60 दिनांक 09.09.1977 अकेले स्व० रिसाल सिंह के नाम दर्ज कर दिया गया तथा प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण संख्या-1 लगायत 3 को स्व०राजू की आराजी में कानूनन 1/4 हिस्सा प्रत्येक दर्ज किया जाना चाहिए। रिसाल सिंह के स्वर्गवास के पश्चात् उसका इन्तकाल विरासत संख्या-3 दिनांक 21.09.1992 अपीलार्थी/अप्रार्थी संख्या-1 पत्नि व अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण संख्या-2, 3, 4 पुत्रियों के नाम गलत दर्ज किया

है जबकि वास्तव में विवादित आराजी के 3/4 भाग पर प्रत्यर्थीगण/ प्रार्थीगण का हक व हिस्सा है। मुस्लिम लॉ के मुताबिक पुश्तैनी आराजी में पुत्र का 2/3 हिस्सा व पुत्रियों का 1/3 हिस्सा होता है। प्रत्यर्थीगण/ प्रार्थीगण ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर में दायर किया जिसे खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के यहाँ विचाराधीन है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर के आदेश दिनांक 26.12.2014 का प्रचलन स्थगित कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण/ अप्रार्थीगण जैतूनी वगैरा ने राजस्व मण्डल, अलवर के न्यायालय में निगरानी दायर की हुई है। अपीलार्थी/अप्रार्थी संख्या-1 ने आराजी खसरा नम्बर 110 व 111 के स्वयं में स्वयं का 1/4 हिस्सा मानकर जरिए बैयनामा दिनांक 27.06.2014 अपीलार्थी/अप्रार्थी संख्या-5 लगायत 7 को विक्रय कर दिया है जो बयनामा कतई गैरकानूनी है। उक्त बयनामा के आधार पर अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण ने विवादित कृषि भूमि को धारा 90 क राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अधीन गैर कृषि प्रयोजन हेतु अनुज्ञा दिनांक 03.08.2015 को नगर विकास न्यास, अलवर से प्राप्त कर ली है और अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण विवादित भूमि में प्लॉट दीगर व्यक्तियों को विक्रय करना चाहते हैं जिसका उन्हें कानूनन अधिकार नहीं है। प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण का विवादित भूमि में 3/4 हिस्सा है। प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण के पक्ष में हैं, इसलिए प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है कि अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पाबन्द किया जावें कि अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण प्रार्थनापत्र के चरण संख्या 3 में वर्णित विवादित भूमि को किसी दीगर शखस को रहन, बैय, हिबे के जरिए मुन्तकिल व मकफूल न करे, विवादित भूमि पर प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में कोई रूकावट व मजाहमत किसी किस्म की पैदा ना करें।

3. इसके खण्डन में अपीलार्थी/अप्रार्थी संख्या-1 के द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश किया गया कि सजरा खानदान गलत है। मृतक राजू के मृतक रिसाल सिंह एक मात्र पुत्र था एवं अलीमन, जरीमन व रवीना के अलावा एक अन्य पुत्री मृतका जुबैदा भी थी जिसके वारिसान को प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने मुकदमा हाजा पक्षकार नहीं बनाया है। खसरा नम्बर 110, 111 स्व०रिसाल सिंह की खरीदशुदा आराजी है जिस आराजी से प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण का कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं है, ताईद में मिलान क्षेत्रफल, इंतकाल नम्बर 57 एवं जमाबंदी संवत् 2029 से 2032 जवाब के साथ पेश है। जमीन के भाव बढ़ जाने के कारण प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने 37 वर्ष बाद अपीलार्थी/अप्रार्थी संख्या-1 लगायत 4 के विरूद्ध गलत तरीक पर सन् 2014 में उपखण्ड अधिकारी, अलवर के यहां वाद दायर किया है जिसे खारिज किया जा चुका है और अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के यहाँ दायर की हुई है जो विचाराधीन है। अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण ने विवादित आराजी गैर कृषि प्रयोजन हेतु नगर विकास न्यास, अलवर से अनुज्ञा प्राप्त की है तथा वर्तमान में आराजी खसरा नम्बर 110, 111 कृषि भूमि नहीं है। अपीलार्थी/अप्रार्थी संख्या-5 लगायत 7 वक्त बयनामा से ही आराजी खसरा नम्बर 110, 111 में अपने हिस्से की भूमि पर काबिज व दाखिल है। विवादित भूमि में प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है। अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण ने स्वयं की सुविधा के लिए भूमि का रूपान्तरण कराया है। प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने मौजूदा वाद अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण को जानबूझकर परेशान करने की नियत से पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने बतौर गवाह इकरारनामा पर अपनी सहमति दी थी एवं अपने फोटो चस्पा कर अपने अंगूठा निशानी की थी जिससे जाहिर है कि स्वयं प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण मानती है कि हाल खसरा नम्बर 110, 111 से प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है। अंत में अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण ने प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र मय खर्चा खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

4. विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुनकर दिनाँक 15.12.2015 को आलौच्य आदेश पारित कर प्रत्यर्थीगण/ प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा सपठित धाा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता विरूद्ध अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। जिस आलौच्य आदेश दिनाँकित 15.12.2015 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण की ओर से हस्तगत अपील प्रस्तुत की गयी है।

5. बहस अपील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6 विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण की तरफ से दौराने बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश विधि विरूद्ध तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व तथ्यों के विपरीत स्वीकार कर कानूनी भूल कारित की है। उनका यह भी कथन रहा है कि प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में परिवार का सजरा गलत पेश किया है क्योंकि मृतक रिसाल सिंह के पुत्र एवं अलीमन, जरीमन, रवीना के अतिरिक्त एक अन्य पुत्री मृतका जुबैदा भी थी जिसके वारिसान को प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने मुकदमा हाजा में बतौर बदयान्ति पक्षकार नहीं बनाया है। उनका यह भी कथन रहा है कि खसरा नंबर 110, 111 स्व०रिसाल सिंह अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण संख्या-1 लगायत 4 के पति/पिता रिसाल सिंह स्वयं की खरीदशुदा स्वार्जित आराजी है जिसमें प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। उनका यह भी कथन रहा है कि विवादित आराजी दादालाई आराजी भी नहीं है। उनका यह भी कथन रहा है कि विवादित भाई की सम्पत्ति में बहनों को कोई हक व हिस्सा किसी भी कानून के तहत प्राप्त नहीं होता है। उनका यह भी कथन रहा है कि जमीनों के भाव बढ जाने के कारण प्रत्यर्थीगण/ प्रार्थीगण ने करीब 37 साल बाद अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण संख्या-1 लगायत 4 के विरूद्ध गलत प्रकार से सन् 2014 में उपखण्ड अधिकारी अलवर के समक्ष राजस्व वाद दायर किया है जो उक्त न्यायालय द्वारा

खारिज किया जा चुका है तथा जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर में दायर होकर विचाराधीन है। उनका यह भी कथन रहा है कि अपीलार्थीगण ने विवादित आराजी गैरकृषि प्रयोजन हेतु नगर विकास न्यास, अलवर से अनुज्ञा प्राप्त की है तथा वर्तमान में आराजी खसरा नंबर 110, 111 कृषि भूमि नहीं है। उनका यह भी कथन रहा है कि प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने बतौर गवाह इकरारनामा पर अपनी सहमति दी थी एवं अपने फोटो चस्पा कर अपनी अंगूठा निशानी की थी जिससे जाहिर है कि स्वयं प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण मानते हैं कि हाल खसरा नंबर 110, 111 से प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण का कोई लेनादेना नहीं है। उनका यह भी कथन रहा है कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के आदेश दिनाँक 26.12.2014 के विरूद्ध निगरानी राजस्व मण्डल में विचाराधीन है। उनका यह भी कथन रहा है कि प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण के हक में कोई प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु किसी भी प्रकार से साबित नहीं होते हैं। उनका यह भी कथन रहा है कि पक्षकारान मुस्लिम लॉ से गर्वन होते है इसलिए पिता की सम्पत्ति में पुत्र का 2/3 हिस्सा एवं पुत्रियों का 1/3 हिस्सा मानते हुए वाद खारिज कर दिया था। उनका यह भी कथन रहा है कि विचारण न्यायालय ने आलौच्य आदेश खिलाफ तथ्य, खिलाफ कानून, खिलाफ मौका साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के नियमों एवं सिविल प्रक्रिया संहिता व विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुए पारित किया है। अंत में उन्होंने अपीलार्थीगण/ अप्रार्थीगण की अपील स्वीकार करने एवं विचारण न्यायालय का आलौच्य आदेश दिनाँकित 15.12.2015 निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

7 इसके विपरीत प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण की ओर से अपीलार्थी/अप्रार्थी के उक्त तर्कों का खण्डन करते हुए दौराने बहस यह कथन किया गया है कि प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण का विवादित आराजी में अर्थात अपने पिता की आराजी में बतौर पुत्री हिस्सा है। उनका यह भी कथन रहा है कि पुत्रियों को भी अपने पिता की सम्पत्ति में हक व हिस्सा प्राप्त करने बाबत

विधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उनका यह भी कथन रहा है कि विचारण न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश विधिसम्मत पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है क्योंकि आलौच्य आदेश के द्वारा दोनों पक्षों को पाबंद किया गया है। अंत में उन्होंने अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण की अपील खारिज किए जाने एवं आलौच्य आदेश दिनाँक 15.12.2015 की पुष्टि किए जाने का निवेदन किया है।

8 सुना जाकर विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं सुसंगत विधि तथा आलोच्य आदेश दिनाँक 15.12.2015 का अवलोकन किया गया।

9 इस अपील के निस्तारण हेतु निम्न तीन बिन्दुओं पर विचार करना है-

1- प्रथम दृष्टया मामला।

2- सुविधा का संतुलन।

3- अपूर्णीय क्षति।

प्रथमदृष्टया मामला-

10 इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने पर यह तथ्य प्रकट आया है कि प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण की तरफ से पेश प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा के पैरा संख्या-2 में वर्णितानुसार पक्षकारान के खानदान का सजरा दर्शाया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 110 रकबा 75 एयर व 111 रकबा 74 एयर कुल किता 2 रकबा 1 हैक्टेयर 49 एयर वाकै ग्राम ईटाराणा, तहसील व जिला अलवर में प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण बतौर खातेदार काबिज होना, उनका भी हक व हिस्सा होना बताया है, साथ ही यह भी वर्णित किया है कि विवादित आराजी दादाईलाही आराजी होकर पूर्व में प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण व अपीलार्थी/अप्रार्थी संख्या-1 के पिता राजू की स्वअर्जित खातेदारी काश्तकारी की आराजी थी, उसके देहान्त के पश्चात् उसकी विरासत का इन्तकाल संख्या 60 दिनांक 09.09.1977 को अकेले स्व०रिसाल सिंह के नाम दर्ज हुआ, और रिसाल सिंह के स्वर्गवास के पश्चात् उसका इन्तकाल विरासत संख्या-3 दिनांक 21.09.1992 अपीलार्थी/अप्रार्थी संख्या-1 पत्नि व अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण संख्या-2, 3, 4 पुत्रियों के नाम गलत दर्ज किया गया है, क्योंकि वास्तव में विवादित आराजी के 3/4 भाग पर प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण का हक व हिस्सा है एवं

मुस्लिम लॉ के मुताबिक पुश्तैनी आराजी में पुत्र का 2 / 3 हिस्सा व पुत्रियों का 1 / 3 हिस्सा होता है। जिसके खण्डनस्वरूपी अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के माध्यम से यह बताया है कि सजरा खानदान गलत है, मृतक राजू के मृतक रिसाल सिंह एक मात्र पुत्र था एवं अलीमन, जरीमन व रवीना के अलावा एक अन्य पुत्री मृतका जुबैदा भी थी जिसके वारिसान को प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने मुकदमा हाजा पक्षकार नहीं बनाया है तथा खसरा नम्बर 110, 111 स्व० रिसाल सिंह की खरीदशुदा आराजी है जिस आराजी से प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण का कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं है, अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण ने विवादित आराजी गैर कृषि प्रयोजन हेतु नगर विकास न्यास, अलवर से अनुज्ञा प्राप्त की है तथा वर्तमान में आराजी खसरा नम्बर 110, 111 कृषि भूमि नहीं है तथा अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 वक्त बयनामा से ही आराजी खसरा नम्बर 110, 111 में अपने हिस्से की भूमि पर काबिज व दाखिल हैं। विवादित भूमि में प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है। उभय पक्षकारान की तरफ से अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत अभिवचनों एवं इस संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन के पश्चात उभरकर आए विवाद बिन्दु यथा, विवादित भूमि पूर्व में कृषि भूमि थी, तथा अपीलार्थी/अप्रार्थी संख्या-1 जैतूनी ने आराजी खसरा नम्बर 110 व 111 को जरिए बयनामा दिनांक 27.06.2014 अपीलार्थी/अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 को विक्रय कर दिया और उक्त बयनामा के आधार पर अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण के द्वारा विवादित कृषि भूमि को धारा 90 क राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अधीन गैर कृषि प्रयोजन हेतु अनुज्ञा दिनांक 03.08.2015 को नगर विकास न्यास, अलवर से प्राप्त कर ली अथवा विवादित भूमि का बंटवारा हुआ या नहीं हुआ, तथा क्या अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 अपनी मनमर्जी से विवादित भूमि के एक विशेष हिस्से को अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 को विक्रय नहीं कर सकते और ना ही उक्त विशेष हिस्से का कानूनी कब्जा उन्हें सौंप सकते हैं तथा अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण विवादित भूमि में प्लॉट काटकर, दीगर व्यक्तियों को विक्रय करना चाहते हैं, तथा क्या प्रार्थीगण का धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश प्रार्थनापत्र न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी, अलवर से खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के यहाँ विचाराधीन है तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर के आदेश दिनांक 26.12.2014 का प्रचलन स्थगित कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण जैतूनी वगैरा ने राजस्व मण्डल, अलवर के न्यायालय में निगरानी दायर की हुई है, आदि आवश्यक प्रकृति के विवाद बिन्दुओ तथा इनके प्रभाव आदि के संबंध में मूल वाद के निस्तारण के दौरान ही उभय पक्ष की तरफ से पेश समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन के पश्चात ही किसी अंतिम विधिक निष्कर्ष पर पहुंचा जाना विधिसम्मत एवं न्यायसम्मत है। हालाँकि यहाँ यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत मामले में वर्णित विवादित भूमि गैर कृषि भूमि होना उभय पक्षों ने अपने अभिवचनों ने स्वीकार किया है। विचारण न्यायालय के द्वारा सही प्रकार से यह मत अभिव्यक्त किया गया है कि उभय पक्ष के मध्य जो विवाद हस्तगत वाद में उत्पन्न हुए हैं वे बाद साक्ष्य निर्धारित किए जाने योग्य हैं, साथ ही इस प्रक्रम पर विवादित आराजीयात को संरक्षित किया जाना भी आवश्यक है अन्यथा उभय पक्षों के मध्य मुकदमेबाजी बढ़ने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिससे यह अपील न्यायालय भी पूर्ण सहमति रखता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा प्रथमदृष्टया मामले का बिन्दु प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित मानते हुए उभय पक्षकारान को मौके की स्थिति को ताफैसला मूल वाद यथावत बनाए रखने एवं उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करने बाबत पारित मत सही प्रकार से अभिव्यक्त किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है तथा जिसमें हस्तक्षेप की भी कोई गुंजाईश होना प्रकट नहीं आने से प्रथमदृष्टया मामले का बिन्दु उक्तानुसार प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण के पक्ष में तय कर निर्णीत किया जाता है।

सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति

11 जहाँ तक सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं का प्रश्न है, तो प्रथमदृष्टया मामले का बिन्दु प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण के पक्ष में, उभय पक्षकारान को ताफैसला मूल वाद मौके की स्थिति यथावत बनाए रखने एवं उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करने की हद तक, प्रमाणित माना गया है। ऐसी स्थिति में इस अपील न्यायालय का यह विनम्र मत है कि यदि किसी भी पक्षकार को अन्य के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है, तो पक्षकारान के मध्य अनावश्यक तौर पर वाद बहुलता बढेगी, जिससे दोनों ही पक्षकारान को असुविधा उत्पन्न होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है तथा जिसकी पूर्ति अर्थ में किया जाना भी संभव नहीं होगा। साथ ही इस अपील न्यायालय का यह भी विनम्र मत है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के स्तर पर न्यायालय को किसी भी पक्षकार का स्वामित्व निर्धारित नहीं करना होता है, मात्र प्रथमदृष्टया प्रकट हुई स्थिति के आधार पर दोनों पक्षकारान के बीच सुविधा का सन्तुलन निर्धारित करना होता है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त दोनों विचारणीय बिन्दु आंशिक रूप से सही प्रकार से निस्तारित किए गए हैं जिसमें हस्तक्षेप की कोई विशिष्ठ गुंजाईश होना प्रकट नहीं आयी है। अतः उक्त दोनों विचारणीय बिन्दु सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु उक्तानुसार ही निस्तारित किए जाते है।

12 उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय के आलौच्य आदेश दिनाँक 15.12.2015 के द्वारा प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर दोनों ही पक्षकारान को मौके की स्थिति को ताफैसला मूल वाद यथावत बनाए रखने एवं उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करने का आदेश पारित किए जाने में कोई त्रुटि विधिक एवं तथ्यात्मक तौर पर कारित होना नहीं पायी जाती है जिस कारण विचारण न्यायालय का आलौच्य आदेश

दिनाँक 15.12.2015 पुष्ट किए जाने योग्य एवं अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण की ओर से पेश हस्तगत अपील अस्वीकार कर खारिज किए जाने योग्य पायी जाती है।

-आदेश-

13 परिणामतः अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण श्रीमती जैतूनी वगैरा की हस्तगत अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.1, अलवर द्वारा सिविल विविध प्रार्थना पत्र सं.46/292/2015 बमुकदमा अनुवान अलीमन व अन्य बनाम श्रीमति जैतूनी व अन्य, में प्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण की तरफ से पेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 सी.पी.सी. में पारित आदेश दिनांक 15.12.2015 की पुष्टि की जाती है।

14 विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली इस आदेश की प्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

(अजीत कुड़ी)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या-4,
अलवर (राज०)

आदेश आज दिनांक **17.03.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सुनाया गया।

(अजीत कुड़ी)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या-4,
अलवर (राज०)